फर्द अहकॉम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

छगनराज जोशी पुत्र [illegible] जोशी नि गुड़ामालानी बनाम [illegible] पुत्र [illegible] वगैरह (6) नि गुड़ामालानी

किस्म मुकदमा [illegible] अधि. मुकदमा नम्बर 87/22

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/5/22	प्रार्थी / वादी / अपीलोट के वकील श्री छगनराज जोशी ने यह प्रार्थना पत्र / वाद / अपील धारा 111, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम / भू0–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो । विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेस्पोडेन्ट जरीये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 30/8/22 को पेश हो । [signature] उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी	(50६ नोटिस 23/5/22)
30/08/22	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान फोलोअप शिविर [illegible] कार्यालय गुड़ामालानी पेश हुई वकील प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण के समन डाक द्वारा ~~रसीदें~~ भेजकर रसीदें पेश की। रसीदें शामिल पत्रावली की गई। विप्रार्थीगण अनुपस्थित। इंतजार हो कारवाई पत्रावली दि0 08/07/22 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी	
08/07/22	पत्रावली आज पेश हुई। विप्रार्थीगण अनुपस्थित। [illegible] कोई समय [illegible] तीन [illegible] डिलाई गई। [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:07:00 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अहकाम हुक्म की तामील में जारी हुए
	विज्ञप्ति अनुपस्थिता तक ~~हुक्म~~ विज्ञप्ति के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है ~~कहके~~ डुग्गी गयी। आदेश, अमल से फिरवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। आदेश की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पालना प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली निर्णित हुआ होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:07:00 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)
पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 87/2022

प्रार्थीगण :–

1. धनराज जोशी पुत्र लीलाधर जोशी एडवोकेट
   मूल निवासी गुड़ामालानी हाल निवासी जोशी वास बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. रूपाराम पुत्र कुशलाराम जाति विश्नोई निवासी उदासर पटवार हल्का आलपुरा तहसील गुड़ामालानी
2. सुजानाराम पुत्र धींयाराम
3. रामजीवन पुत्र धींयाराम जाति विश्नोई निवासी उदासर पटवार हल्का आलपुरा तहसील गुड़ामालानी
4. अर्जुन पुत्र कानाराम जाति विश्नोई निवासी उदासर पटवार हल्का आलपुरा तहसील गुड़ामालानी
5. अमलुराम पुत्र चौखाराम जाति विश्नोई निवासी उदासर पटवार हल्का आलपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
6. हरलालराम पुत्र प्रतापाराम जाति विश्नोई निवासी उदासर पटवार हल्का आलपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 08/07/22

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम का वास्ते नेखमबन्दी विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी और उसके पुत्रों की संयुक्त खातेदारी का एक खेत खसरा नम्बर 807 रकबा 59–04 बीघा (9.5829 हैक्टेयर) का ग्राम उडासर पटवार हल्का आलपुरा तहसील गुड़ामालानी में आया हुआ है जिसकी मौके पर नेखमबन्दी करने का आदेश प्रदान करावें। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से विप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2075–2078 (2021) से स्थायी सरहद मौजा उदासर पटवार हल्का आलपुरा के खेत खसरा नम्बर 807 रकबा 9.5829 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थी व प्रार्थी के पुत्रों का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी की भूमि के चारो ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पड़ोसी काश्तकारों के साथ उत्पन्न हो जाती है, तथा वर्तमान में विप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि पर जबरन अतिक्रमण कर कब्जा करने पर आमादा है, जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सामांज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:07:00 IST
Reason: SelfAttested